



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263575
CG-DL-E-03062025-263575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2025/ज्येष्ठ 13, 1947

No. 412]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2025/JYAISTHA 13, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. डीडी/1/एस/आईएनएफ/09/डीसी/40/2009.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए श्रीनिवास तल्लूरी (सदस्यता संख्या 029864), फ्लैट नंबर 4बी, मचेर्ला अपार्टमेंट, 6-3-1218/6, उमानगर, बेगमपेट, हैदराबाद 500016 (तेलंगाना) को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग I के मद (5), (6), (7), (8) और (9) के अर्थान्तर्गत दोषी अभिनिर्धारित किया है और इसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सीए श्रीनिवास तल्लूरी (सदस्यता संख्या 029864) के नाम को स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया और उन पर 5,00,000/- रुपये (मात्र पाँच लाख रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय 30 (तीस) दिनों के भीतर किया जाना होगा। अनुशासन समिति के आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 22जी के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील संख्या 01/आईसीएआई/2014 दायर की। चूंकि अपीलीय प्राधिकरण प्रासंगिक समय पर कार्यरत नहीं था, इसलिए उन्होंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका WP(C) 2712/2014 भी दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल, 2014 के आदेश के द्वारा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपील का निपटारा होने तक अंतरिम स्थगन प्रदान किया। तत्पश्चात, अपीलीय प्राधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद 25 मार्च, 2025

के अपने आदेश के द्वारा स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हटाने की अवधि को घटाकर 10 वर्ष कर दिया। उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए श्रीनिवास तल्लूरी (सदस्यता संख्या 029864) का नाम 3 जून, 2025 से 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./146/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2025

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/1/S/INF/09/DC/40/2009.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Srinivas Talluri (Membership No. 029864), Flat No. 4B, Macherla Apartments, 6-3-1218/6, Umanagar, Begumpet, HYDERABAD 500016(Telangana)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5), (6), (7), (8) and (9) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, ordered for removal of name of **CA. Srinivas Talluri (Membership No. 029864) permanently** from the Register of Members and also imposed a Fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs only) to be paid within 30(Thirty) days. Aggrieved by the Order of the Disciplinary Committee the Respondent filed an appeal no 01/ICAI/2014 before the Appellate Authority under Section 22G of the aforesaid Act. Since the Appellate Authority was not functional at the relevant time, he also filed a Writ Petition WP(C) 2712/2014 before the Hon'ble High Court of Delhi in which The Hon'ble High Court vide order dated 30th April, 2014 granted interim stay till the disposal of Appeal by the Appellate Authority. Subsequently, the Appellate Authority after hearing the parties vide its Order dated 25th March, 2025 reduced the period of removal from permanent to 10 years. In pursuance of the aforesaid Order and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Srinivas Talluri (Membership No. 029864), shall stand removed from the Register of Members for a period of 10(Ten) years with effect from 3rd June, 2025.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./146/2025-26]